परिपत्र नं. 22/2017-सीमाशुल्क

फा.सं. 609/46/2017-डीबीके
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून, 2017

सेवा में

प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक
मुख्य आयुक्त/महानिदेशक
प्रधान आयुक्त/आयुक्त
सभी जो सीबीईसी के अंतर्गत आते है।

विषयः प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों में दिनांक 01.07.2017 से संशोधन और प्रतिअदायगी से संबंधित अन्य परिवर्तन ।

महोदया/महोदय,

आपका ध्यान अधिसूचना संख्या 58/2017- सीमाशुल्क (गै.टे.)और 59/2017- सीमाशुल्क (गै.टे.) दोनों की तारीख 29.06.2017, पर आकृष्ट किया जा रहा है जो कि 01.07.2017 से लागू होंगे । ये अधिसूचनाएँ क्रमशः सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 और अधिसूचना संख्या 131/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 31.10.2016 (यथा संशोधित) के द्वारा प्रतिपादित प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों से संबंधित है।

2. अधिसूचना संख्या 59/2017- सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 29.06.2017 के द्वारा किए गए परिवर्तनों की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैः

(क) परिवर्तन काल

जीएसटी व्यवस्था में सहज संक्रमण के लिए, सरकार ने तीन महीने की अवधि के लिये जो कि 01.07.2017 से 30.09.2017 तक है प्रतिअदायगी की वर्तमान योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है। निर्यातकर्ता इस अवधि के दौरान किए गए निर्यात के लिए, संयुक्त दरों अर्थात प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों की सूची के क्रमशः (4) और (5) कॉलम में जो दरें और उनकी सीमाएँ दी गई हैं उनके लिए दावा कर सकता है, बशर्ते की कुछ अतिरिक्त शर्तें भी पूरी होनी चाहिए। संक्रमण की इस अवधि में निर्यातकर्ता जैसा कि पहले से ही करते आ रहे है शुल्क/कर की ब्राण्ड दर के लिए भी दावा कर सकते हैं। इन सयुंक्त दरों का दावा करने पर जो शर्तें लगाई गई हैं उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्यातकर्ता प्रतिअदायगी की सयुंक्त अखिल औद्योगिक दरों का दावा करने के साथ-साथ केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) का इनपुट टैक्स क्रेडिट न ले पाएं जो कि निर्यात मॉल पर या निर्यात मॉल के निर्माण में प्रयुक्त आदान और आदान सेवा पर मिलता है और न ही निर्यात मॉल पर भुगतान किए गए आईजीएसटी को वापस करने का दावा कर सके। इसके अलावा ऐसा कोई निर्यातकर्ता जो कि सयुंक्त दर के लिए दावा कर रहा हो, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अनुसार निर्यात वस्तु पर या निर्यात वस्तु के विनिर्माण में प्रयुक्त आदान और आदान सेवा पर प्राप्त होने वाले सेनवेट क्रेडिट को अग्रसारित नहीं कर सकता है। निर्यात के समय निर्यातक को इस अधिसूचना में निर्धारित किए अनुसार एक घोषणा करनी होगी और प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रतिअदायगी की ब्राण्ड दर का निर्धारण करते समय इसी प्रकार के जांच बिन्दु लागू होंगे। यधपि तीन माह की संक्रमण अवधि की अनुमति दी गई है, निर्यातक के पास यह एक विकल्प होगा की वह प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दर के केवल सीमाशुल्क हिस्से अर्थात प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दर की अनुसूची के कॉलम (6) और (7) के अंतर्गत क्रमशः दी गई दरों और सीमाओं का दावा कर सके और सीजीएसटी अथवा आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सके अथवा निर्यात पर अदा किए गए आईजीएसटी का रिफंड करवा सके।

(ख) अखिल औद्योगिक दरो में परिवर्तनः

आदान और निर्यात वस्तुओं की मौजूदा कीमतों, बजटीय परिवर्तनों, प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर तथा विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता के मद्देनजर अखिल औद्योगिक दर में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है-

i. दिनांक 31.10.2016 की अधिसूचना संख्या 131/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.) की नोट्स और शर्तों के पैरा (17) में संशोधन किया गया है ताकि "सम्मिश्रित" शब्द को इसमें शामिल किया जा सके जिससे अध्याय 54 और 55 के अंतर्गत आने वाली वस्त्र की सम्मिश्रित साम्रगी को रंगी हुई के रूप में माना जा सके;

ii. अध्याय 3, 15, 16 और 23 के अंतर्गत आने वाले कतिपय समुद्री उत्पादों के संबंध में प्रतिअदायगी की सीमाशुल्क की दरों और सीमाओं में बढ़ोतरी की गई है;

iii. उत्पाद के बेहतर विभेद के लिए दो नई टैरिफ लाईनें शुरू की गई है। ये अध्याय 41 के अंतर्गत आने वाले चमड़े और अध्याय 94 के अंतर्गत आने वाले पॉलीफिल से भरे तकियों/गद्दे/रजाईयों/पफल्स से संबंधित;

iv. अध्याय 52, 54, 55 और 56 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की कई मदों के संबंध में सीमा को बढ़ा दिया गया है;

v. अध्याय 56 और 95 के अंतर्गत मानव निर्मित वस्त्र सामग्री से तैयार फिशिंग और स्पोर्टस नैट पर प्रतिअदायगी की दरों और सीमा को बढ़ा दिया गया है;

vi. "लैगिंग" को टैरिफ मद 610304 और 610404 की बजाय टैरिफ मद 611501 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है; और

vii. अध्याय 75 के अंतर्गत आने वाले निक्कल और उनकी वस्तुएं के संबंध में प्रतिअदायगी की सीमाशुल्क की दरों को कम किया गया है।

3. इसके अलावा दिनांक 29.06.2017 की अधिसूचना संख्या 58/2017- सीमाशुल्क (गै.टे.) के अंतर्गत :

(क) प्रतिअदायगी की ब्राण्ड दर के निर्धारित किए जाने के कार्य को केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों से स्थानांत्रित करके सीमाशुल्क के उन कार्यालयों को दिया गया है जिनकी निर्यात के स्थान पर अधिकारिता है। विभिन्न सम्बंधित प्रावधानों, प्रक्रियों इत्यादि को स्पष्ट करने संबंधी एक अलग से परिपत्र जारी किया जा रहा है।

(ख) प्रतिअदायगी के अनुपुरक दावों पर अब केवल सीमाशुल्क कार्यालयों द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी। इस आशय से जहाँ कहीं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों संबंधी कोई संदर्भ आया है, उसे उक्त प्रतिअदायगी नियमावली 1995 से विलोपित कर दिया गया है।

3.1 कुछ सीमाशुल्क कार्यालय वर्तमान में केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों के अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहे है। यह ध्यान में रखा जाये कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क के अधिकारी नामित किया गया है। तदनुसार, जब तक क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमाशुल्क आयुक्तालय, जो अब तक सीमाशुल्क के कार्यों को कर रहे केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों का स्थान लेंगे, अधिसूचित और कार्यात्मक हो जाते हैं, क्षेत्राधिकार प्राप्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के तहत आवश्यक सीमाशुल्क के कार्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

4. यह अनुरोध है कि उक्त अधिसूचनाओं के अंतर्गत हुए परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए। व्यापार जगत और अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए उपर्युक्त सार्वजनिक नोटिस और स्थाई आदेश जारी किए जाए।

5. इस संबंध में सामने आने वाली कोई अननुरूपता, त्रुटि अथवा कठिनाई को बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(नितीश कु. सिन्हा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार